न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा।

राज्य प्रति इकरार उर्फ विशेष आदि।

दण्डवाद सं0–671/2018
अपराध सं0–67/2017
धारा–323,504,506 भा0दं0सं0
थाना–ठाकुरद्वारा।

10.12.2019

अभियुक्तगण इकरार उर्फ विशेष व अकरम उर्फ चरन दण्डवाद सं0–671/2018 तथा अपराध संख्या–67/17 अन्तर्गत धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 थाना–ठाकुरद्वारा के मामले में अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसे मिथ्या फंसाया गया है वह निर्दोष हैं। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियोजन आख्यानुसार अपराध गैर जमानतीय है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण स्वेच्छया से आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। अपराध जमानतीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की जमानत का पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण इकरार उर्फ विशेष व अकरम उर्फ चरन द्वारा पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किये जाए।

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा।